औचित्य एवं आवश्यकता

परियोजना का नाम :– माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 441/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सल्ट में मझेड़ा–कुमारती–सौरे–नौरड़ मोटर मार्ग का निर्माण।(5.00किमी.)(0.630है0)

उपरोक्त मोटर मार्ग की स्वीकृति शासनादेश सं. 6108/III(2)/14–33(प्रा.आ.)/2014 दिनांक 19.12.2014 के द्वारा 5.00 किमी. लम्बाई हेतु ` 43.31 लाख मात्र के लिए प्राप्त हुई है। इस मोटर मार्ग के निर्माण की मांग क्षेत्रीय जनता एवं स्थानीय जन प्रतिनिधियों द्वारा लम्बे समय से की जा रही है। इस मोटर मार्ग के निर्माण से लगभग 4–5 ग्रामसभाओं को आर्थिक एवं व्यापारिक लाभ मिलेगा तथा जिला मुख्यालय एवं तहसील मुख्यालय भिकियासैण के साथ–साथ रेल हैड काठगोदाम/रामनगर से सीधे यातायात से जुड़ने की सुविधा प्राप्त होगी। इस मार्ग के बनने से स्थानीय कास्तकारों द्वारा अपने खेतों में उगाई फसल, फल, सब्जी आदि को बाजार में विपणन हेतु सुविधा होगी, जिससे स्थानीय जनता को रोजगार प्राप्त होगा व पलायन की कमी के साथ–साथ पयर्टन को भी बढावा मिलेगा। इस हेतु सिविल बेनाप भूमि 0.270है0 तथा वन पंचायत 0.360है0 कुल 0.630है0 वनभूमि के हस्तान्तरण हेतु प्रस्ताव गठित किया गया है।

कनिष्ठ अभियन्ता	*सहायक अभियन्ता,*	*अधिशासी अभियन्ता,*
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,	*प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,*	*प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,*
रानीखेत	*रानीखेत*	*रानीखेत*